विवरण 6–क
Statement 6-A

रेलवे बोर्ड
RAILWAY BOARD

(रिपोर्ट भेजने वाली रेलवे का पूरा नाम) रेलवे
(Full name of reporting Railway) Railway

बड़ी Broad / मीटर Metre / छोटी Narrow — लाइन gauge

यात्री राजस्व सांख्यिकी
PASSENGER REVENUE STATISTICS

मास.....19.... के आंकड़े
For the month of.....19.....

मास.....19.....की तुलना में
compared with the month of.....19.....

महीने के आंकड़े Figures for the month													मद Item	1 अप्रैल से संचयी आंकड़े Cumulative figures from April 1st.														
19 क A							19 ख B							19 घ D							19 ङ E							
उपनगरीय Suburban		अनुपनगरीय Non-sub-urban		जोड़ Total			उपनगरीय Suburban		अनुपनगरीय Non-sub-urban		जोड़ Total			उपनगरीय Suburban		अनुपनगरीय Non-sub-urban		जोड़ Total			उपनगरीय Suburban		अनुपनगरीय Non-sub-urban		जोड़ Total			
सीजन Season	साधारण Ordinary	सीजन Season	साधारण Ordinary	सीजन Season	साधारण Ordinary	जोड़ Total	सीजन Season	साधारण Ordinary	सीजन Season	साधारण Ordinary	सीजन Season	साधारण Ordinary	जोड़ Total	सीजन Season	साधारण Ordinary	सीजन Season	साधारण Ordinary	सीजन Season	साधारण Ordinary	जोड़ Total	सीजन Season	साधारण Ordinary	सीजन Season	साधारण Ordinary	सीजन Season	साधारण Ordinary	जोड़ Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
														1. प्रारंभिक यात्रियों की संख्या Number of passengers originating														
														1.01 वातानुकूल Air-conditioned														
														1.02 पहला दर्जा First class														
														1.03 वातानुकूल कुर्सी यान A. C. chair car														
														1.04 दूसरा दर्जा— Second class—														
														(i) डाक और एक्सप्रेस Mail and express														
														(ii) साधारण Ordinary														
														1.05 जोड़–सभी दर्जे Total all classes														

विवरण 6–क

यात्री राजस्व सांख्यकी

अनुदेश

टिप्पणी —(1) इस विवरण के आंकड़े वाणिज्यिक दस्तावेज़ों पर आधारित होंगे और इनमें विवरण 8 भाग II में अलग से दिखाये गये, ई०एम०यू० उपनगरीय गाड़ियों के आंकड़े भी सम्मिलित किये जायेंगे। बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन के अलग-अलग विवरण दिये जायेंगे ।

(2) यात्री यातायात के आंकड़े और इस विवरण की मद 1 से 5 के अन्तर्गत अर्जन के आंकड़े, उपनगरीय और अनुपनगरीय यातायात के लिए अलग-अलग दिखाये जायेंगे । महानगरीय क्षेत्रों में (इस समय बम्बई, कलकता और मद्रास में), जहां कि सीजन टिकटों के लिए विशेष रियायती दरें लागू होती हैं, प्रारम्भ और समाप्त होने वाले यात्री यातायात को केवल उपनगरीय यातायात माना जायेगा, चाहे यात्री स्थानीय (लोकल) गाड़ी से यात्रा करे चाहे अन्य गाड़ी से ।

1. **प्रारंभिक यात्रियों की संख्या**—का अर्थ है रेलवे के प्रत्येक आमान (गेज) से बुक किये गये यात्रियों की संख्या । आमान का स्थानीय वापसी टिकट लेने वाले यात्री को दो बार यात्रा प्रारम्भ करने वाला यात्री माना जायेगा, लेकिन दूसरी रेलवे के स्टेशन का वापसी टिकट लेने वाले यात्री के बारे में यह माना जायेगा कि उसने एक बार बुक करने वाली रेलवे पर और एक बार जिस रेलवे का वापसी टिकट जारी किया गया है उस रेलवे पर यात्रा प्रारम्भ की। मासिक सीजन टिकटों को, जब तक कि रेलवे बोर्ड द्वारा अन्यथा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया जाय, प्रति टिकट 50 इकतरफा यात्रा टिकटों के बराबर माना जायेगा। बच्चों के टिकट भी वयस्कों के टिकट की तरह ही माने जायेंगे ।

टिप्पणी.—जब किसी बच्चे को छपा हुआ टिकट, टिकट पर छपे हुए किराये पर अथवा घटे हुए किराये पर बच्चों की अथवा बच्चों की/रियायती छपी हुई टिकट सीरीज में से जारी किया जाय, तो प्रारंभिक यात्रियों की संख्या और यात्री किलोमीटरों के आंकड़ों के संकलन के प्रयोजनार्थ बच्चे को पूर्ण यूनिट माना जाए । इसी प्रकार, बच्चों को जारी किये जाने वाले कोरी पर्ची टिकटों और सीजन टिकटों को पूर्ण यूनिट माना जाये । लेकिन जब किसी बच्चे को, बच्चों की अलग से छपी हुई टिकटों की सीरीज अथवा बच्चों की/रियायती मुद्रित टिकट सीरीज के अभाव में, वयस्कों के लिए छपे हुए टिकटों की सीरीज में से टिकट जारी किया जाए तो उसे तब तक आधा टिकट ही माना जाए जब तक कि बच्चों के टिकटों का अथवा बच्चों का/रियायती टिकटों का स्टाक फिर से उपलब्ध न हो जाये ।

परिक्रमा (सर्कुलर) यात्रा टिकटों की गिनती इकहरी यात्रा टिकटों के रूप में की जानी चाहिए, जैसे कि चार वयस्कों के लिए जारी किये गये परिक्रमा/राउण्ड यात्रा टिकट चार यात्रियों के बराबर माने जायेंगे–फासला, रास्ते में ठहराव और यात्रा-विरामों की संख्या कुछ भी हो ।

टिप्पणी.—फेरी अथवा स्टीम बोट से यात्रा प्रारम्भ करने वाले यात्रियों तथा आरक्षित सवारी डिब्बों अथवा स्पेशल गाड़ियों में, जिनसे होने वाले अर्जन को "अन्य कोचिंग अर्जन" माना जाता है, यात्रा करने वाले सैनिक कर्मचारियों से भिन्न यात्रियों और पास पर मुफ्त यात्रा करने वाले यात्रियों को शामिल नहीं किया जायेगा ।

Statement 6-A

Passenger Revenue Statistics

Instructions

Note.—(1) The figures for this statement are to be based on commercial documents and should include those of electric multiple unit suburban trains also shown separately in St. 8-Part II. Separate statements are required for broad, metre and narrow gauges.

(2) Figures of passenger traffic and earnings for items 1 to 5 of the statement are required to be shown separately for suburban and non-suburban traffic. Passenger traffic originating and terminating in metropolitan areas, (at present at Bombay, Calcutta and Madras) where special concessional rates for season tickets are applicable, will only be treated as suburban traffic, irrespective of whether the passengers travel by local trains or by others.

1. **Number of passengers originating**—means the number of passengers booked from each gauge of the railway. A passenger taking a local return ticket on the gauge is to be treated as having originated twice, but a passenger taking a return ticket to a station on another railway is to be treated as having originated once each on the booking railway and the railway to which the return ticket is issued. Monthly season tickets, except when otherwise specially authorised by the Railway Board, are to be taken as equal to 50 single journey tickets each. Children tickets are to be treated as adult tickets.

Note.—A child is to be reckoned as a whole unit for purpose of statistical compilation of the number of passengers originating and the passenger kilometres when a child is issued a printed ticket for the fare printed therein or for the reduced fare from the child or child/concession printed series of tickets. Similarly, the blank paper tickets and the season tickets issued to children are also to be treated as whole units. But when a child is issued a ticket from the "adult printed series" in the absence of a separate child or child/concession printed series, it should be treated as half ticket till such time the stock of child or child/concession tickets become available.

Circular tour tickets should be counted as single journey tickets, e. g., circular/round tour tickets issued in favour of four adults will be considered as equivalent to four passengers irrespective of the distance, halts and number of break journeys *en route*.

Note.—Passengers originating on a ferry or steamboat service, as well as the passengers other than military personnel travelling in reserved carriages or special trains, the earnings from which are treated as "other coaching earnings", and those travelling on passes are not to be included.

St. 6-A—(Contd.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
														2. जारी किये गये सीजन टिकटों की संख्या Number of season tickets issued (क) मासिक— (a) Monthly— (*i*) पहला दर्जा First class (*ii*) दूसरा दर्जा Second class (ख) त्रैमासिक— (b) Quarterly— (*i*) पहला दर्जा First class (*ii*) दूसरा दर्जा Second class 3. ढोये गये यात्रियों की कुल संख्या Total number of passengers carried 3.01 वातानुकूल Air-conditioned 3.02 पहला दर्जा First class 3 03 वातानुकूल कुर्सी यान A. C. chair car 3.04 दूसरा दर्जा Second class— (*i*) डाक और एक्सप्रेस Mail and express (*ii*) साधारण Ordinary 3.05 जोड़-सभी दर्जे Total all classes. 4. यात्री किलोमीटर Passenger kilometres 4.01 वातानुकूल Air-conditioned 4.02 पहला दर्जा First class 4.03 वातानुकूल कुर्सीयान A. C. chair car 4.04 दूसरा दर्जा— Second class— (*i*) डाक और एक्सप्रेस Mail and express (*ii*) साधारण Ordinary 4.05 जोड़ सभी दर्जे Total all classes														

2. **जारी किये गये सीजन टिकटों की संख्या**—इनकी संख्या सीजन टिकट यातायात वाले कालमों में दी जायेगी ।

2. **Number of season tickets issued.**—The number is to be given under columns meant for season ticket traffic.

3. **ढोये गये यात्रियों की कुल संख्या**—इसमें स्वक्षेत्रीय लाइन के प्रत्येक आमान पर यात्रा प्रारम्भ करने वाले यात्रियों की संख्या शामिल की जायेगी । साथ ही, उक्त आमान पर अन्य रेलों से अथवा स्वक्षेत्रीय लाइन के किसी भिन्न आमान से आने वाले अथवा उक्त आमान/रेलवे से होकर गुजरने वाले यात्रियों की संख्या भी शामिल की जायेगी । वापसी टिकट इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को दो बार ढोया गया समझा जायेगा । 'सीजन', 'जोन' और बच्चों के टिकट के बारे में मद 1 में व्यवहृत होगा ।

3. **Total number of passengers carried**—is to include the number of passengers originating on each gauge of the home line, as well as the number of passengers received on the gauge from other railways, or from a different gauge of the home line and also those crossing the gauge/railway. Passengers using return tickets are to be treated as having been carried twice and season, 'zone' and children tickets are to be dealt with as in item 1.

मद 3 के आंकड़ों में विभिन्न दर्जों में, प्रारंभिक यात्रियों से भिन्न ऐसे यात्रियों की कुल संख्या शामिल की जायेगी, जो गैर-सरकारी रेलों, आमान-परिवर्तन स्थलों और अन्य सरकारी रेलों के साथ संयुक्त उसी आमान के जंक्शनों से आये हों ।

Figures against item 3 include the total number of passengers other than originating in the respective classes received from Non-Government Railways, break-of-gauge points and same gauge junctions with other Government Railways.

टिप्पणी.—फेरी सेवा में स्थानीय रूप से ढोये गये यात्रियों को, अर्थात् जिन्हें रेल द्वारा कतई न ढोया गया हो, शामिल नहीं किया जायेगा, लेकिन सीधे टिकट पर फेरी और रेल दोनों से यात्रा करने वालों को शामिल किया जायेगा । मद 1 की टिप्पणी में उल्लिखित अन्य यात्रियों को शामिल नहीं किया जायेगा ।

Note.—Passengers carried locally over the ferry service i.e., not by rail at all, are to be excluded but those travelling both on ferry and railway on through tickets are to be included. The other passengers referred to in the note under item 1 are to be excluded.

4. **यात्री किलोमीटर**—इसके अन्तर्गत यात्रियों द्वारा स्वक्षेत्रीय लाइन पर तै की गयी कुल दूरी दिखायी जायेगी । जब यात्री किलोमीटरों की गणना प्रति यात्री प्रति किलोमीटर औसत दर के आधार पर की जाय, तो वर्तमान दरों में दी जाने वाली छूटों अथवा दूरबीनी घटा-बढ़ी के लिए समुचित गुंजाइश रखनी चाहिए तथा औसत दर पर, जैसा कि सामान्य अनुदेश के पैरा 8 में निर्दिष्ट है, पुनर्विचार किया जायेगा । सीजन टिकट और बच्चों के टिकटों के बारे में मद 1 में बताये अनुसार बरता जायेगा । यात्री किलोमीटर, बिना टिकट यात्रा करते पाये गये और अधिप्रभारित किये गये यात्रियों के सम्बन्ध में भी निकाले जायेंगे । यदि इस सम्बन्ध में वास्तविक आंकड़े मालूम न हों तो अनुमानित आंकड़ों को उसी अनुपात में लिया जाय जो अनुपात अधिक किराया अर्जन (जुर्माने और उच्चतर दर्जे में यात्रा करने के कारण वसूल हुए किरायों के अन्तर को छोड़कर) और प्रत्येक दर्जे के अन्तर्गत होने वाले साधारण यात्री अर्जन का है ।

4. **Passenger kilometres**—are to show the total distance traversed by passengers on the home line. When passenger kilometres are worked out on the basis of average rate per passenger per kilometre due allowance should be made for any concessions or telescopic variations, etc., in the rates in force and the average rate is to be re-examined as laid down in paragraph 8 of the General Instructions. Season and children tickets are to be treated as in item 1. Passenger kilometres are also to be calculated for passengers found travelling without tickets and excessed. If the actual figures are not calculated in this connection, approximate figures are to be taken in the same proportion as the excess fare earnings, (excluding penalty charges, and the difference in fares, recovered on account of travelling in higher class) bear to the ordinary passenger earnings under each class.

टिप्पणी.—यात्रियों द्वारा फेरी अथवा स्टीम बोट सेवा से तै की गई दूरी और स्पेशल गाड़ियों तथा आरक्षित डिब्बों में ढोये गये सैनिक कर्मचारियों से भिन्न यात्रियों, जिनसे होने वाले अर्जन को "अन्य कोचिंग से अर्जन" माना गया है, तथा रेलवे पास पर मुफ्त ढोये गये यात्रियों के सम्बन्ध में कोई यात्री किलोमीटर नहीं गिने जायेंगे ।

Note.—No passenger kilometres are to be calculated for the distance travelled by passengers over ferry or steam-boat service, nor for passengers other than military personnel carried in special trains and reserved carriages, the earnings from which are treated as "other coaching earnings", and for those carried free on passes.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
														5. ढोये गये यात्रियों से अर्जन Earnings from passengers carried															
														5.01 वातानुकूल Air-conditioned															
														5.02 पहला दर्जा First class															
														5.03 वातानुकूल कुर्सीयान A. C. chair car															
														5.04 दूसरा दर्जा– Second class–															
														(*i*) डाक और एक्सप्रेस Mail and express															
														(*ii*) साधारण Ordinary															
														(*iii*) शयन-स्थान पर अधिप्रभार Surcharge on sleeping accommodation															
														5.05 जोड़-सभी दर्जे Total all classes.															

5. **ढोये गये यात्रियों से अर्जन**—मद 5.01 से 5.05 तक में दर्जेवार अर्जन दिखाया जायेगा, जिसमें फेरी और स्टीम बोट अर्जन भी शामिल होगा ।

5. Earnings from passengers carried.—Items 5.01 to 5.05 shall show the earnings by classes inclusive of ferry and steam boat earnings.

दूसरे दर्जे में शयन-स्थान का अधिप्रभार अलग से मद 5.04(*iii*) में दिखाया जाना चाहिए । कतिपय विनिर्दिष्ट गाड़ियों में यात्रा पर जो अधिप्रभार (सरचार्ज) लगे उसे संबंधित दर्जे के अर्जन का अंग माना जाय ।

Surcharge on sleeping accommodation prov ded in second class should be shown separately against item 5.04 (iii). Surcharge on travelling by certain specified trains should form part of the earnings of the respective class.

राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के मामले में खान-पान से होने वाले अर्जन को भी अलग से स्थान के प्रत्येक दर्जे की पाद-टिप्पणी में दिखाया जायेगा ।

The earnings from catering in case of Rajdhani Express trains is also to be shown separately in a footnote for each class of accommodation.

रेलवे के विभिन्न आमानों पर यात्रियों से होने वाला कुल अर्जन, जो 5.05 में दिखाया जायेगा, एब्सट्रेक्ट X के मुख्य शीर्ष 100–'कोचिंग से अर्जन, वापसियों सहित' में दर्ज अर्जन से मेल खाना चाहिए ।

The total passenger earnings shown under 5.05 of various gauges of the system should agree with earnings booked under main head ·100 of Abstract X—Coaching earnings including refunds.

महीने के आंकड़े Figures for the month				मद Item	1 अप्रैल से संचयी आंकड़े Cumulative figures from April 1st.			
19 कA		19 खB			19 घD		19 ङD	
ढोयी गयी संख्या Number carried	अर्जन Ear-nings	ढोयी गयी संख्या Number carried	अर्जन Ear-nings	ग C	ढोयी गयी संख्या Number carried	अर्जन Ear-nings	ढोयी गयी संख्या Number carried	अर्जन Ear-nings
				6. रेलवे पर ढोये गये यात्रियों की संख्या और उनसे अर्जन Number of and earnings from passengers carried on the system				
				6.01 पूरे किराये Full fares—				
				(क) वातानुकूल (a) Air-conditioned				
				(ख) पहला दर्जा (b) First class				
				(ग) वातानुकूल कुर्सीयान (c) A. C. chair car				
				(घ) दूसरा दर्जा : (d) Second class:				
				(i) डाक और एक्सप्रेस Mail and express				
				(ii) साधारण Ordinary				
				(ङ) जोड़-सभी दर्जे (e) Total all classes				
				6.02 सीजन टिकट– Season ticket—				
				(क) वातानुकूल (a) Air-conditioned				
				(ख) पहला दर्जा (b) First class				
				(ग) वातानुकूल कुर्सीयान (c) A. C. chair car				
				(घ) दूसरा दर्जा: (d) Second class :				
				(i) डाक और एक्सप्रेस Mail and express				
				(ii) साधारण Ordinary				
				(ङ) जोड़-सभी दर्जे (e) Total all classes				
				6.03 पूरे किराये से कम पर ढोया गया अन्य यातायात Other traffic carried at less than full fares—				
				(क) वातानुकूल (a) Air-conditioned				
				(ख) पहला दर्जा (b) First class				
				(ग) वातानुकूल कुर्सीयान (c) A. C. chair car				
				(घ) दूसरा दर्जा : (d) Second class :				
				(i) डाक और एक्सप्रेस Mail and express				
				(ii) साधारण Ordinary				
				(ङ) जोड़–सभी दर्जे (e) Total all classes				

आंकड़े जिस महीने के हों उसके बीतने पर 60 दिन के भीतर भेज दिये जाये।
To be posted not later than 60 days after the month to which the figures refer.

6. **रेलवे पर ढोये गये यात्रियों की संख्या और उनसे अर्जन**—इसके अन्तर्गत समस्त रेलवे पर अर्थात् उसके समस्त आमानों पर ढोये गये यात्रियों की संख्या और उनसे हुई आमदनी दिखायी जायेगी। मद 3 और 5 से सम्बन्धित अन्य अनुदेश भी यहां लागू होते हैं सिवाय इसके कि दो या दो से अधिक आमानों से गुजर कर जाने वाले यात्रियों की गणना केवल एक बार की जायेगी। यह सूचना संचयी आधार पर केवल त्रैमासिक दी जायेगी।

6. **Number of and earnings from passengers carried on the system**—are to show the number of passengers carried and the earnings derived therefrom on the entire system of the railway i.e., for all gauges together. The other instructions in items 3 and 5 apply here also, except that passengers passing over two or more gauges are to be counted once only. This information is to be furnished only quarterly on cumulative basis.

मद 6.01(क) से 6.01(ङ)—में, मद 6.02(क) से 6.03 (ङ) में शामिल यात्रियों को छोड़कर, पूरे किराये पर ढोये गये यात्रियों की संख्या और उनसे होने वाला अर्जन दिखाया जायेगा।

Items 6.01(a) to 6.01(e)—are to show the number of passengers carried at full fares i. e., excluding those coming under items 6.02 (a) to 6.03 (e), and their earnings.

मद 6.02(क) से 6.02(ङ)—में सीजन टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या और उनसे होने वाला अर्जन दिखाया जायेगा।

Items 6.02(a) to 6.02(e)—are to show the number of passengers travelling on season tickets and their earnings.

मद 6.03(क) से 6.03(ङ)—में मद 6.02(क) से 6.02 (ङ) में शामिल न किये गये, घटे हुए किराये पर (अर्थात् घटे हुए किराये पर वापसी टिकट, सप्ताहांत भ्रमण टिकट, परिक्रमा यात्रा टिकट तथा अन्य प्रकार के रियायती टिकट पर) यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या और उनसे होने वाला अर्जन दिखाया जायेगा। सैनिक यात्री यातायात और उससे होने वाला अर्जन शामिल किया जायेगा।

Items 6.03(a) to 6.03(e)—are to show the number of passengers travelling at reduced fares not included in items 6.02 (a) to 6.02 (e)-(i. e., return tickets at reduced fares, week-end holiday excursion tickets, circular tour tickets, as well as other descriptions of concession tickets) and their earnings. Military passenger traffic and its earnings are to be included.